न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2014/00131 **दायरा दिनांक : 08.07.2014**

उनवान

ओम प्रकाश आत्मज बजरंगलाल, जाति ब्राहमण, निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम आत्मज बजरंगलाल, जाति ब्राहमण मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   1/1. पदम कुमार आत्मज स्वर्गीय घनश्याम
   1/2. संतोष बाई पुत्री स्वर्गीय घनश्याम
   1/3. मन्जू बाई पुत्री स्वर्गीय घनश्याम
   निवासीगण सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. हरिप्रकाश आत्मज बजरंगलाल, जाति ब्राहमण मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   2/1. लोकेश आत्मज स्वर्गीय हरिप्रकाश
   2/2. धनराज आत्मज स्वर्गीय हरिप्रकाश
   2/3. किशन आत्मज स्वर्गीय हरिप्रकाश
   2/4. गीताबाई पत्नी स्वर्गीय हरिप्रकाश
   निवासीगण सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां
3. विमला बाई पुत्री बजरंगलाल पत्नी गिर्राज प्रसाद जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम बडगांव, तहसील अन्ता, जिला बारां
4. गुड्डी बाई पुत्री बजरंगलाल पत्नी जयनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम लिसाडी, तहसील अन्ता, जिला बारां
5. केदारलाल आत्मज बजरंगलाल जी, जाति ब्राहमण
6. महेन्द्र आत्मज केदारलाल जी, जाति ब्राहमण
   निवासीगण ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तेजमल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1/1, 2 ल0 4 की ओर
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 15/2009 निर्णय दिनांक 16.05.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भटवाडा में जमाबंदी सम्वत 2062 से 2065 खाता सं. 46 खसरा नं. 1006 रकबा 2.37 हेक्टर, खसरा नं. 1076 रकबा 2.02 हेक्टर, खसरा नं. 1199 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नं. 1244 रकबा 0.24 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.15 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 16.05.2014 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र अप्रार्थी क्रम 2 खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का काउंटर क्लेम अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही काउंटर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अपीलांट द्वारा ग्राम भटवाडा स्थित प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर बंटवारा वर्ष 1975 के बाद से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। मृतका गणपति बाई को उक्त आराजी पिता से प्राप्त होने से स्वअर्जित हुई और जिसकी वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 17.01.2009 को खसरा नं. 1006 रकबा 2.37 हेक्टर, खसरा नं. 1076 रकबा 2.02 हेक्टर भूमि की कर रखी है। उक्त वसीयत से अपीलांट खातेदार हो गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा स्वत्व व कब्जा साबित करने के बाद भी काउंटर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय ए.डी.जे. नं. 4 कोटा में हुए रेस्पोडेंट क्रम 2 के बयान पर ध्यान दिये बिना ही काउंटर टी.आई. प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट के पक्ष में सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया केस होने के बाद प्रार्थना पत्र काउंटर खारिज कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इस काउंटर प्रार्थना पत्र तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा काउंटर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमने घोषणा का वाद पेश किया। वसीयत के आधार पर काबिज काश्त भी है, साथ ही 212 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया है। इटावा की आराजी मां के नाम थी, मां ने ही विक्रय पत्र निष्पादित किया जिसे प्रतिवादी ने खारिज कराने हेतु सिविल कोर्ट में केस किया था। मांगरोल की 20 बीघा आराजी की वसीयत वादी अपीलांट के नाम है जिसे दावे में प्रतिवादी ने स्वीकार किया था। अतः दावे के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति रखी जावे। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सिविल कोर्ट में हमारा दावा खारिज हुआ क्योंकि आराजी मां के नाम थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों की अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की है। सहखातेदार के विरूद्ध कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट प्रतिवादी नं. 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.05.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का काउण्टर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपुण है। अपीलांट का ग्राम भटवाडा स्थित प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर बंटवारा वर्ष 1975 के बाद से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। मृतका गणपति बाई को उक्त आराजी पिता से प्राप्त होने से स्वअर्जित हुई और जिसकी वसीयत दिनांक 17.01.2009 को ख.नं. 1006 रकबा 2.37 है0, ख.नं. 1076 रकबा 2.02 है0 आराजी अपीलांट के पक्ष में कर रखी है। उक्त वसीयत से अपील खातेदार हो गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा स्वामित्व व कब्जा साबित करने के बाद भी काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर इस काउण्टर प्रार्थना पत्र तक योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा काउण्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट द्वारा अपने काउण्टर प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में जिस विवादित आराजी के संदर्भ में अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गयी थी वह आराजी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न ग्राम भटवाडा की जमाबंदी संवत् 2062–65 के अनुसार गणपति बाई पुत्री बद्रीलाल के खाते दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट का कथन है कि मृतका गणपति बाई को उक्त आराजी पिता से प्राप्त होने से स्वअर्जित हुई और जिसकी वसीयत अपीलांट के पक्ष में दिनांक 17.01.2009 को निष्पादित हुई है परंतु अपीलांट द्वारा इस प्रकार की कोई वसीयत अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है। विवादित आराजी गणपति बाई पुत्री बद्रीलाल के खाते दर्ज होने के कारण अपीलांट व रेस्पो. दोनों ही जब तक वादग्रस्त आराजी इनकी खातेदारी में दर्ज नहीं हो जाती तब तक इसका बेचान या रहन रखने का कृत्य कारित नहीं कर सकते। वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु तय नहीं होने के कारण इस अपील को खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा